## प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 59 / 2023

अनवान : –

**1.** साहेब राम पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।

**–वादी**

**बनाम्**

1. काशीराम पुत्र बिरदीचन्द जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
2. रोशनी पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
3. सिलोचना पुत्री काशीराम जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
4. मैना पुत्री काशीराम जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर ।
5. मीरा देवी पुत्री काशीराम जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील ।
6. मन्जू पुत्री काशीराम जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर ।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

**– प्रतिवादीगण**

**दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955**

उपस्थिति : 1. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**

**निर्णय** **दिनांक: 13.05.2023**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 71 / 75 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 7.4360 है0 भूमि में से 1 / 10 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 75 / 79 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 16.0100 है0 भूमि में से 1 / 5 हिस्सा व खाता संख्या 21 / 21 के कुल खसरे 236 की तादादी 5.4500 है0 भूमि में से 1 / 5 हिस्सा व खाता संख्या 72 / 74 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 15.3780 है0 भूमि में से 5429 / 64075 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है

वादी व प्रतिवादीगण की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण से प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई। उपरोक्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 प्रतिवादी संख्या 1 के साथ ब0 हि0 ब0 के काश्तकार हैं।

प्रतिवादीया संख्या 2 ता 6 जो कि वादी की बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने पिता व भाई के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार प्रतिवादीया संख्या 2 ता 6 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग मुताबिक समझोता रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:18:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 71/75 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 7.4360 है0 भूमि में से 1/10 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 75/79 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 16.0100 है0 भूमि में से 1/5 हिस्सा में वादी काबिज है तथा दुर्जाना के खाता संख्या 21/21 के कुल खसरे 236 की तादादी 5.4500 है0 भूमि में से 1/5 हिस्सा व खाता संख्या 72/74 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 15.3780 है0 भूमि में से 5429/64075 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 यथावत काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 6 ने उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की कि उक्त वाद भूमि वादी की संयुक्त हिन्दू परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 6 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादीया स0 2 ता 6 ने अपना हक हिस्सा अपने पिता एवं भाई के पक्ष में परित्याग कर दिया है। वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 6 द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 71/75 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 7.4360 है0 भूमि में से 1/10 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 75/79 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 16.0100 है0 भूमि में से 1/5 हिस्सा व खाता संख्या 21/21 के कुल खसरे 236 की तादादी 5.4500 है0 भूमि में से 1/5 हिस्सा व खाता संख्या 72/74 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 15.3780 है0 भूमि में से 5429/64075 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से संयुक्त हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ व पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी स0 2 ता 6 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 6 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:18:41 IST
Reason: SelfAttested

## क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 71/75 की कुल 7.4360 है0 भूमि में से 1/10 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 75/79 की कुल 16.0100 है0 भूमि में से 1/5 हिस्सा उपरोक्त दोनो खातों की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा दुर्जाना के खाता संख्या 21/21 की कुल 5.4500 है0 भूमि में से 1/5 हिस्सा व खाता संख्या 72/74 की कुल 15.3780 है0 भूमि में से 5429/64075 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 13/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 मे मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–मेघाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:18:41 IST
Reason: SelfAttested

## प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
## पर्चा डिक्री
### न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 59/2023
अनवान : –

1. साहेब राम पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।

–**वादी**

**बनाम्**

1. काशीराम पुत्र बिरदीचन्द जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
2. रोशनी पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
3. सिलोचना पुत्री काशीराम जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
4. मैना पुत्री काशीराम जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर ।
5. मीरा देवी पुत्री काशीराम जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील ।
6. मन्जू पुत्री काशीराम जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर ।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

**वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**
**राजस्व वाद संख्या 59 सन 2023 निर्णय दिनांक 13.05.2023**

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील उभयपक्ष की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 71/75 की कुल 7.4360 है0 भूमि में से 1/10 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 75/79 की कुल 16.0100 है0 भूमि में से 1/5 हिस्सा उपरोक्त दोनो खातों की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा दुर्जाना के खाता संख्या 21/21 की कुल 5.4500 है0 भूमि में से 1/5 हिस्सा व खाता संख्या 72/74 की कुल 15.3780 है0 भूमि में से 5429/64075 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनाक 13/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:18:41 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–मेघाना